

- इससे राज्यों की **CSS नधियों पर नरिभरता बढ़ जाती है** तथा राज्य-वशिष्ट पहलें सीमित हो जाती हैं।
- **प्राथमिकता संबंधी मुद्दे:** CSS नधियों के लिये राज्यों को **समतुल्य अनुदान** उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, जिससे इनके सनसाधनों का राज्य-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से इतर अन्य क्षेत्रों में वय हो जाता है।
- **सहकारी संघवाद के लिये खतरा:** संवधान सभा बहस के दौरान, **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** ने **संघ और राज्यों के बीच समान भागीदारी** पर जोर दिया था लेकिन विकाधीन CSS अनुदान पर अत्यधिक नरिभरता से **सहकारी संघवाद** का संवैधानिक अभिप्राय प्रभावित होता है।
 - उदाहरण के लिये, CSS दशा-नरिदेशों में **केंद्रीय नेतृत्व** को उजागर करने और केंद्रीय नयितरण को मज़बूत करने के लिये **“ब्रांडिंग”** को **अनवार्य** किया गया है।
- **संघ की नीतियों का वसितार:** राज्यों को नयितरति करने के लिये **राजनीतिक साधन** के रूप में CSS का उपयोग बढ़ता जा रहा है।
 - उदाहरण के लिये, वतित मंत्रालय के वर्ष **2022 के दशा-नरिदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वनिविश के इच्छुक राज्यों के लिये 50,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण** शामिल था, जिसका कई राज्यों ने वरिध किया था।
- **CSS फंडिंग का प्रसार:** CSS फंड रल्लिज़ वर्ष 2014-15 में कुल अंतरण के **7.5% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 47% हो गया**, जिससे वतित आयोग द्वारा अनुशंसति हस्तांतरण में कमी आई।
 - **संवधान की सातवीं अनुसूची** के वपिरित, कई CSS का कार्यक्षेत्र **राज्य सूची** के अंतरगत आने वाले क्षेत्रों में वसितारति है, जिससे राज्य के अधिकार क्षेत्र में केंद्र का अतिक्रमण होता है।

केन्द्र प्रायोजति योजनाएँ (CSS) क्या हैं?

- **परचिय:** CSS को केंद्र और राज्यों द्वारा **संयुक्त रूप से वतित पोषति** किया जाता है, **राज्यों द्वारा कार्यान्वति किया जाता है** और इसके तहत संवधान की **राज्य और समवर्ती सूचियों** के अंतरगत क्षेत्रों को कवर किया जाता है।
 - चूँकि **केंद्र सरकार के पास अधिक वतित संसाधन** हैं इसलिये इन योजनाओं से **राज्य सरकारों के परयासों को अतिक्रित सहायता** मिलती है।
 - राज्यों को केंद्रीय सहायता योजनाओं के लिये सभी अंतरण **राज्य की समेकति नधि** के माध्यम से किये जाते हैं।
- **प्रकार:** CSS को **तीन मुख्य श्रेणियों** में वभिजति किया गया है:
 - **कोर ऑफ द कोर स्कीम:** ये योजनाएँ सामाजिक समावेशन और संरक्षण के लिये **सर्वाधिक महत्वपूर्ण** हैं। उदाहरण के लिये, **मनरेगा**।
 - **कोर स्कीम:** ये योजनाएँ **कृषि, बुनियादी ढाँचे, शक्ति, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास** जैसे **वभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों पर केंद्रति** हैं।
 - उदाहरणार्थ, **मध्यानह भोजन योजना** (स्कूल पोषण कार्यक्रम), **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** (ग्रामीण सड़कें) आदि।
 - **ऑप्शनल स्कीम:** इसके अंतरगत राज्य अपनी इच्छानुसार योजनाओं का चयन कर सकते हैं।
 - उदाहरण: **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** आदि।
- **वतितपोषण स्वरूप:** केंद्र अपने बजट का लगभग **12% CSS को आवंटति करता है**, जिसमें **वभिन्न केंद्र-राज्य अनुपातों में वतितपोषण साझा** किया जाता है:
 - 60:40 (अधिकांश योजनाएँ)
 - 80:20 (वशिष योजनाएँ)
 - 90:10 (पूर्वोत्तर एवं वशिष श्रेणी राज्यों के लिये)
- **केंद्र प्रायोजति और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के बीच अंतर:**

| वशिषता | केंद्र प्रायोजति योजनाएँ (CSS) | केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएँ |
|----------------|--|--|
| कार्यान्वयन | राज्य सरकारों द्वारा | केंद्र सरकार द्वारा |
| वतितपोषण स्रोत | साझा वतितपोषण (केंद्र एवं राज्य) | केंद्र द्वारा पूरणत: वतितपोषति |
| उदाहरण | MGNREGA, PMAY, स्वच्छ भारत मशिन | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मशिन, PM-कसान |

आगे की राह

- **अनुच्छेद 282 पर न्यायिक स्पष्टता:** सर्वोच्च न्यायालय को **यह मूल्यांकन करना चाहिये** कि क्या **CSS से संघीय संतुलन** पर प्रभाव पड़ता है तथा उन वशिष परस्थितियों को स्थापति करना चाहिये जिनके अंतरगत **विकाधीन अनुदानों** का उपयोग किया जा सकता है।
- **CSS का युक्तिकरण: समान CSS को प्रभावी अमबरेला योजनाओं में वलिय करने के साथ अप्रभावी योजनाओं को समाप्त करने के क्रम में नयिमति प्रभाव आकलन करना चाहिये।**
- **वतितपोषण तंत्र की समीक्षा:** राज्यों के वतित बोझ को कम करने के क्रम में **नधि-साझाकरण पैटर्न** को संशोधति (वशिष रूप से **सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये**) करना चाहिये और **पछिड़ा क्षेत्र अनुदान नधि (BRGF)** बंद होने के बाद पछिड़े क्षेत्रों के लिये समर्थन को बहाल करना चाहिये।
- **सहकारी संघवाद को मज़बूत करना:** अंतर-राज्य परषिद और नीत आयोग के माध्यम से नयिमति **केंद्र-राज्य परामर्श** पर ध्यान देना चाहिये तथा राज्यों को **स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार CSS को अनुकूलति करने में अधिक लचीलापन प्रदान करना चाहिये।**

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में राजकोषीय संघवाद पर केंद्र प्रायोजति योजनाओं (CSS) के प्रभाव की चर्चा कीजिये। अनुच्छेद 282 के तहत विकाधीन अनुदान, राज्यों

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न: स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, 2017 के संबंध में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

1. यह एक दशक में हमारे देश के प्रत्येक शहर को स्मार्ट सटि के रूप में वकिसति करने के लयि केंद्र-प्रायोजति योजना है ।
2. यह हमारे देश के समक्ष आने वाली कई समस्याओं को हल करने के लयि नई डजिटिल प्रौद्योगिकी नवाचारों की पहचान करने की एक पहल है ।
3. इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन-देन को पूरी तरह से डजिटिल बनाना है ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: B

??????

प्रश्न: भारत के 14वें वतित्त आयोग की सफिरशियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार करने में किस प्रकार सक्षम बनाया है? (2021)

प्रश्न: हाल के वर्षों में सहकारी परसिंघवाद की संकल्पना पर अधकिधकि बल दयि जाता रहा है । वदियमान संरचना में मौजूद असुवधियों के बारे में बताते हुए सहकारी परसिंघवाद किस सीमा तक इन असुवधियों का हल नकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालें । (2015)

